सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 75/15 **निर्णय दिनांकः— 23.05.2018**

1. किसनाराम पुत्र लिखमाराम जाति बावरी निवासी 6 केडब्ल्यूएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. श्रीमती अमरी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी बरसिंहसर हाल चक 3 केडब्ल्यूएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. भागीरथ पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी बरसिंहसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. तुलसीराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी बरसिंहसर हाल चक 7 केडब्ल्यूएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
4. कालूराम पिसरान गंगाराम जाति जाट निवासी बरसिंहसर
5. भंवरराम तहसील व जिला बीकानेर
6. देवसीराम (फौत)
7. मालूराम पुत्र केरूराम जाति कुम्हार निवासी 56 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला बीकानेर।
8. श्रीमती सीमा पत्नी लालूराम जाति कुम्हार निवासी 3 केडब्ल्यूएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 29—12—1987
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जगदीश जयपाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 29—12—1987 जिसके द्वारा अपीलांट् को आवंटित भूमि एकतरफा तौर पर खारिज कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट एक अनुसूचित जाति का भूमिहीन व्यक्ति है। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 09—09—1982 को तहसील छत्तरगढ़ के चक 6 के डब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 194/55 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 194/63 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 13, 18 ता 22 में 12 बीघा कुल तादादी 37 बीघा भूमि का आवंटन किया गया थ। तभी से उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांट वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर अपीलांट परिवार सहित ढाणी बनाकर निवास कर रहा है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि को काफी रूपया पैस खर्च करके काबिल काश्त बनाया है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन के पश्चात् आवंटन पट्टा, पासबुक भी जारी की जा चुकी है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व उनके साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि वादगत् भूमि मुरब्बा नम्बर 194/63 के किला नम्बर 1 व 2 उनकी खरीदशुदा भूमि है जब अपीलांट को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा रिकार्ड देख तो ज्ञात हुआ कि अपीलांट के नाम से आवंटित 37 बीघा भूमि में से 35 बीघा भूमि ही रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांट द्वारा अपनी आवंटन पत्रावली निकलवाई गई तब पता चला कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि चक 6 केडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 194/63 के किला नम्बर 1 व 2 दिनांक 29—12—1987 को खारिज कर दिया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आगे बताया गया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये व बिना रिकार्ड का अवलोकन किये अपीलांट को आवंटित भूमि को गंगाराम को आवंटित कर दी गई। उक्त भूमि गंगाराम पुत्र खेमाराम द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या मालूराम को विक्रय कर दी गई व तत्पश्चात् वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 8 सीमा पत्नी लालूराम को विक्रय कर दी गई। जबकि उक्त भूमि अपीलांट को वर्ष 1982 से आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि एक आक्यूपाईड लैण्ड थी एवं शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों पर गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि अपीलांट के आवंटन आदेश के अवलोकन से स्वमेव स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के आवंटन आदेश के मुताबिक वादगत् भूमि चक 6 केडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 184/63 के किला नम्बर 1 व 2 की 2 बीघा भूमि पुनः बहाल कर अपीलांट के नाम से दर्ज रिकार्ड की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2006–07 स्प. पेज 443 व आरआरटी 2007 पेज 132 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

उन्होंने मिंयाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति/पिता द्वारा वर्ष 1976 में वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वादगत् भूमि का आवंटन वर्ष 1976 में अदालत मातहत द्वारा किया गया था। तभी से वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा था। कालांतर में वादगत् भूमि की खातेदारी भी रेस्पोडेन्ट को प्राप्त हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 द्वारा वादगत् भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को वादगत् भूमि का विक्रय कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त

भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी गई। इसप्रकार वादगत् भूमि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है तथा मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 8 का कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 29—12—1987 को अपीलांट को आवंटित भूमि डबल आवंटन मानते हुए खारिज की गई है। अपीलांट द्वारा वर्ष 1987 के उपरान्त आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट गंगाराम पुत्र खेमाराम को दिनांक 12—02—1976 को आवंटित है। इस प्रकार यह तथ्य भलीभांति स्पष्ट है कि वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट पूर्व ॲलोटी है। वादगत् भूमि अपीलांट को वर्ष 1982 में आवंटित की गई थी इसप्रकार अपीलांट के स्वमेव कथनों से साबित है कि अपीलांट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन है। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट का आवंटन 2 बीघा की हद तक निरस्त किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी साबित है कि अपीलांट की उनके धारण की भूमि अर्थात 35 बीघा भूमि की हद तक रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब उक्त अपीलाधीन आदेश के 32 वर्ष उपरान्त किसी प्रकार का कोई अनतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन चक 6 केडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 194/63 के किला नम्बर 1 व 2 की 2 बीघा भूमि को दिनांक 29—12—1987 को निरस्त किया गया है जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट/रेस्पोडेन्ट दोनों के द्वारा वादगत् भूमि चक 6 केडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 194/63 के किला नम्बर 1 व 2 के आवंटन किये जाने का कथन किया गया है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09—09—1982 को तहसील छत्तरगढ़ के चक 6 केडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 194/55 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 194/63 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 13, 18 ता 22 में 12 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था।

इसीप्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 ने कथन किया कि वादगत् भूमि चक 6 केडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 1 व 2 का आवंटन उनके पति/पिता को वर्ष 1976 में किया गया था।

(3) प्रकरण में अपीलांट के आवंटन के बाबत् रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर यह तथ्य स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट चक 6 केडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 194/55 व 194/63 में कुल 37 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। जिस पर उनके कब्जे काश्त के अनुसार 35 बीघा भूमि का अमल दरामद किया जा चुका है।

(4) प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भलीभांति स्पष्ट होती है कि प्रस्तुत मामलें में रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादगत् भूमि वर्ष 1976 में आवंटनशुदा भूमि है जिसे वर्ष 1982 में किशनाराम को आवंटन कर दिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट अभिलिखित है कि वादगत् भूमि दिनांक 12—02—1976 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के पति/पिता गंगाराम पुत्र खेमाराम को आवंटित थी तथा दिनांक 09—09—1982 को उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित की गई।

(5) इसप्रकार यह तथ्य भलींभांति स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट पूर्ववर्ती व अपीलांट पश्चात्वर्ती आवंटी है। मामलें में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के पति/पिता द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7

मालूराम पुत्र केरूराम को विक्रय कर दी गई व कालान्तर में उक्त भूमि पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 8 सीमा पत्नी लीलूराम को विक्रय कर दी गई व आज दिनांक को वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

(6) प्रकरण में अपीलांट अपीलाधीन आदेश दिनांक 29—12—1987 के विरूद्व अपील दिनांक 21—08—2015 को प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलांट के आवंटन को दिनांक 29—12—1987 को ही निरस्त कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा वर्ष 1987 से उपरान्त आज दिनांक तक कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह स्थिति भी उभर कर सामने आती है अपीलांट स्वयं अपने हकों के लिए जागरूक नहीं रहे है। अपीलांट को दिनांक 09—09—1982 को चक 6 केडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 194/55 व 194/63 में कुल 37 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। जिस पर उनके कब्जे काश्त के अनुसार 37 बीघा भूमि में से मुरब्बा नम्बर 194/63 के किला नम्बर 1 व 2 को छोड़कर जोकि रेस्पोडेन्ट को वर्ष 1976 में आवंटनशुदा होने के कारण एसीसी, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 29—12—1987 को खारिज की जा चुकी थी, अपीलांट के धारण में शेष रही 35 बीघा भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के पक्ष में दर्ज कर दिया गया है। लिहाजा अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 29—12—1987 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर